न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 612/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अनाराम 2 मूलाराम पिसरान दीपाराम जाति माली निवासी प्रभूओणी मालियों का वास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 चनणाराम 2 नथाराम 3 लुम्भाराम पिसरान जैसाराम 4 आणछी पत्नी जीयाराम 4 गिरधारीराम 5 जेठाराम पिसरान जीयाराम जाति माली निवासी प्रभूओणी मालियों का वास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 7 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पनघट रोड बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :—

1. श्री मुकेश जैन, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री नारायण कुमावत, वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06।

आदेश

दिनांक 24.02.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 832/729 रकबा 0.4106 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के खेत मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 835/732 रकबा 0.8174 हैक्टेयर व खसरा संख्या 731/565 रकबा 1.4650 हैक्टेयर में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक—मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने—जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की भूमि में से आने—जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06 उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:39:44 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रां[illegible]राज[illegible]/251ए/2024/1788 दिनांक 22.11.2024 द्वारा रिपोर्ट इस [illegible] की भूमि के पास राजस्व ग्राम मुख्यालय का खसरा व श्मशान घाट की भूमि स्थित है। प्रार्थीग[illegible] खसरा व श्मशान वगैरा को जोड़ने हेतु मुख्यालय डामर सड़क के बीच मात्र एक खसरा संख्या 731/565 ही स्थित है, जिसमे से होकर पहले मौके पर रास्त चालू था लेकिन खसरा संख्या 731/565 के खातेदारों द्वारा रास्त बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण के खसरा की भूमि को जोड़ने हेतु दुसरी साईड से समर्पण कराकर प्रयास किया गया लेकिन उस तरफ बड़े—बड़े धोरे (नॉन फिजिकल) होने से रास्ता बन नही सका। उक्त

उपखण्ड अधिकारी

प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग लाल से प्रदर्शित है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 731/565 रकबा 1.4650 हैक्टेयर में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अणछी पत्नी जीयाराम हिस्सा 1/3 गिरधारीराम पुत्र जीयाराम हिस्सा 1/3 जेठाराम पुत्र जीयाराम हिस्सा 1/3 जाति माली सा. देह खातेदार रहन सम्पूर्ण खाता एसबीआई शाखा पनघट रोड बाडमेर	731/565	1.4650	392 X 20	0.0728	25936 X 2 51871.00

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06 ने मौका रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर निराधान एवं गलत तथ्यों पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी नोटिस व्यक्तिगत तामिल नही हुए है। मौका रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तैयार नही की गई है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 04 से 06 को सूचना दी गई। मौका रिपोर्ट एक पक्षीय तैयार की गई है, जो रिकॉर्ड पर [illegible] योग्य नही [illegible] पर किसी भी प्रकार का रास्ता वर्तमान में विधमान नही है [illegible] हेतु रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार [illegible] भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार करने हेतु निर्देषित किया परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट अ[illegible]कृत व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है, जबकि मौका रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में तथा सभी पक्षकारों के हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिए, जो एक पक्षीय मौका रिपोर्ट होने के कारण पुनः मौका रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को निर्देशित करवाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:59:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकट तथ्यों, पत्रावली के अवलोकन एवं उभय पक्षों की बहस के मध्येनजर [illegible] ग्रामीण से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/251ए/2025/259 दिनांक 17.02.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि उभय पक्षों को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि को मौका जांच प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्तावित स्थल पर मौके पर मार्ग चल रहा है। प्रस्तावित रास्ता, मकान वगैराह पक्का निर्माण से हटकर तैयार किया गया है। प्रस्तावित जगह पर वर्तमान में कोई पक्का निर्माण नही है। डामर सड़क से निकटतम दूरी का तथा सर्वोत्तम उपयुक्त रास्ता है। मौके पर जांच के दौरान अप्रार्थी गिरधारीराम व जेठाराम घर पर ही उपस्थित थे लेकिन बुलाने के बावजूद मौके पर नही आए। मोबाईल पर कॉल करके बुलाने पर उन्होने बताया कि वे मार्ग नही देंगे व छुट्टी के दिन क्यो आऐ हो। प्रार्थीगण को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग बैंगनी से प्रदर्शित है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 731/565 रकबा 1.4650 हैक्टेयर में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अणछी पत्नी जीयाराम हिस्सा 1/3 गिरधारीराम पुत्र जीयाराम हिस्सा 1/3 जेठाराम पुत्र जीयाराम हिस्सा 1/3 जाति माली सा. देह खातेदार रहन सम्पूर्ण खाता एसबीआई शाखा पनघट रोड बाडमेर	731/565	1.4650	392 X 20	0.0728	25936 X 2 51871.00

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण केवल वाद को लम्बा करने हेतु बार बार आपत्ति प्रस्तुत कर रहे है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:50:44 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06 ने मौका रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर निराधान एवं गलत तथ्यों पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी नोटिस व्यक्तिगत तामिल नही हुए है। मौका रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तैयार नही की गई है

तथा न ही अप्रार्थी संख्या 04 से 06 को सूचना दी गई। मौका रिपोर्ट एक पक्षीय तैयार की गई है, जो रिकॉर्ड पर लेने योग्य नही है। मौके पर रास्ता विघमान नही है। प्रस्तावित रास्ते पर पक्का निर्माण किया हुआ है तथा अप्रार्थीगण के घर व टांके बने हुए है। यदि प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाया जाता है तो प्रस्तावित रास्ते पर अप्रार्थीगण के बने पक्के निर्माण को हटाने की कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता वर्तमान में विघमान नही है प्रार्थीगण के पास पहले से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार करने हेतु निर्देशित किया परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है, जबकि मौका रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में तथा सभी पक्षकारों के हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिए, जो एक पक्षीय मौका रिपोर्ट होने के कारण पुनः मौका रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को निर्देशित करवाने का आदेश फरमावें।

मौका रिपार्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता, मकान वगैराह पक्का निर्माण से हटकर तैयार किया गया है। प्रस्तावित जगह पर वर्तमान में कोई पक्का निर्माण नही है। डामर सड़क से निकटतम दूरी का तथा सर्वोत्तम उपयुक्त रास्ता है। प्रार्थीगण को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बरंग बैंगनी से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" जो तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है। दूसरा रास्ता कोई विकल्प नही है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 04 से 06 के खेत खसरा संख्या 731/565 में सं. प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 832/729 के आवागमन हेतु रास्ता कायम किया गया है वह वर्तमान में खाली पड़ी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:59:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 832/729 रकबा 0.4106 हैक्टेयर भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 04 से 06 की भूमि में से सड़क मार्ग तक पहुचने हेतु अप्रार्थी संख्या 04 से 06 की भूमि मौजा प्रभूओणी मालियों का वास पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील बाडमेर

ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 731/565 भूमि में से निम्नानुसार रास्ता स्वीकार किया जाता है :–

क्र. सं.	वर्तमान खाते की स्थिति	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई X चौड़ाई (फीट में) प्रस्तावित मार्ग का रकबा		प्रस्तावित किस्म	प्रस्तावित मार्ग का रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अणछी पत्नी जीयाराम हिस्सा 1/3 गिरधारीराम पुत्र जीयाराम हिस्सा 1/3 जेठाराम पुत्र जीयाराम हिस्सा 1/3 जाति माली सा. देह खातेदार रहन सम्पूर्ण खाता एसबीआई शाखा पनघट रोड बाडमेर	731/565	1.4650	बा.सो.	392	20	गै.मु. रास्ता	0.0728 हैक्टेयर

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी की दूगुनी राशि 51871/– प्रार्थीगण बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 15.02.2025 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 09:39:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर